

वकील वादी ने उत्पन्न आवेदन । सि 10 CPC  
का नोटा लिखा। उक्तिवशील उक्तिवादीगण  
में उपलब्ध गटवार जावे। पत्रावली  
उक्त प्रकरण के चर्चा/बाह्य हेतु  
दिनांक 28/4/25 में पेश हो।

  
सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

28/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील  
पत्रावली उप.। वकील श्री मनोरयावल  
ने उक्तिवारी ले. 11, 14, 22, 24 त 27  
की धार से वगलतनामा पेश किया  
पत्रावली वाला उक्तिवारी ले. 3/2, 19, 21  
23/2 से 23/4 के वर्तमान पत्रे में P/F  
सम्मत उक्तिवारीगण के जवाबदावा  
व उत्पन्न आवेदन । सि 10 CPC के जवाब  
बाह्य हेतु दिनांक 16/5/25 में पेश हो।

  
सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

12/5/2025

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी व वादी स्वयं  
उपस्थित। जिन्होंने ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद को आगे  
नहीं चलाना चाहते हैं जिससे उक्त वाद को जरिये विद्धो  
खारज करने का निवेदन किया है ।

अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाकर विचाराधीन उक्त प्रकरण अधारा 53 आर.टी.  
एक्ट का जरिये विद्धो (Withdraw) खारीज किया जाता है ।  
निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार  
होकर नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

लप  
श्रीक.



28/4/25  
28/4/25